रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004 / 98 REGISTERED NO. DL-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 26, 1998 / आषाढ 5, 1920
No. 28] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 26, 1998 / Asadha 5, 1920

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय
(व्यवस्थापिका विभाग)

दिल्ली, 4 अप्रैल, 2007 चैत्र 14, 1929 (साका)

संसद के निम्नलिखित अधिनियम ने 3 अप्रैल 2007 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की है और यह सामान्य जानकारी के लिए प्रकाषित किया गयाः–

राष्ट्रीय औषधीय षिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (संषोधन) एक्ट, 2007

संख्या 19 या, 2007

राष्ट्रीय औषधीय षिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के 1998 के एक्ट का अग्रिम संषोधन

यह निम्नानुसार भारत गणराज्य के अठ्ठावनवें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमितः–

1. (1) इस अधिनियम को नाईपर (संषोधन) अधिनियम, 2007 कहा जा सकता है। (2) इसे 29 जनवरी 2007 से प्रवृत्त समझा जायेगा।	संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

2. नाईपर अधिनियम, 1998 (बाद में मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित), धारा (3), खंड(जी), निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः– **(अ)** 'संस्थान' से अभिप्राय उपधारा (1) या धारा (4) की उपधारा (ज़ेड ए) के तहत स्थापित राष्ट्रीय औषधीय षिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान है।	धारा 3 का संषोधन
3. मूल अधिनियम की धारा 4 में, **(क)** उपधारा (2) के बाद, निम्नलिखित उपधारा को सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्ः– '(2 ए) केन्द्र सरकार, षासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, देष के विभिन्न स्थानों में इस प्रकार के संस्थानों की स्थापना हो सकती है।' **(ख)** उपधारा (3) में, **(ए)** खंड (डी) में, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः– '(डी) सचिव, तकनीकी षिक्षा, राज्य सरकार, जहॉ संस्थान स्थित है, पदेन', **(बी)** खंड (जे) के बाद, निम्नलिखित खंड सम्मिलित किया जाएगाः– '(जे.ए.) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि'।	धारा 4 का संषोधन
4. मूल अधिनियम की, धारा 4 के बाद, निम्नलिखित धारा को सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्ः– **'4ए.** एक संस्थान, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन, के अनुसार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के भीतर विभिन्न स्थानों में एक या एक से अधिक केन्द्रों की स्थापना हो सकती है।	नई धारा 4 की प्रविष्टि
5 (1) राष्ट्रीय औषधीय षिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (संषोधन) अध्यादेष, 2007 एतदद्वारा निरसित किया जाता है। **(2)** नाईपर (संषोधन) 2007 के निरसन होते हुए, मूल अधिनियम के तहत यदि कोई कार्यवाही की जाती है, जो उक्त उक्त अध्यादेष द्वारा संषोधित है, जिसे मूल अधिनियम के संगत प्रावधानों के तहत लिया है, को इस अधिनियम द्वारा संषोधित समझा जायेगा।	निरसित अध्यादेष 2 का 2007